



भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली - 110 054.

सं० स्था./परिपत्र/CN- 9156560/

दिनांक : 06.06.2025

कार्यालय आदेश

विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी कर्मचारी कार्य दिवसों में कार्यालय समय में अपना कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अथक प्रयास करने के बावजूद भी यदि आवश्यकता हुई तो कर्मचारी अपना कार्य कार्यालय समय से पहले आकर अथवा देर तक बैठकर करेंगे। सहायक नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी केवल योग्य मामलों में ही प्रतिपूरक अवकाश (Compensatory Leave) सुनिश्चित करने के लिए समुचित नियंत्रण रखेंगे। सहायक नियंत्रक एवं वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रतिपूरक अवकाश की रिपोर्ट प्रतिमाह विभागाध्यक्ष अर्थात् प्रकाशन नियंत्रक को प्रतिमाह भेजी जाएगी, साथ ही कर्मचारी का नाम, दिनों की संख्या, अवकाश/साप्ताहिक अवकाश में किए गए अत्यावश्यक कार्य की प्रकृति की जानकारी भी दी जाएगी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

यह आदेश विभाग अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

NK
06/06/2025

(नरेश कुमार शर्मा)

वित्तीय अधिकारी / कार्यालय अध्यक्ष

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रकाशन नियंत्रक के वै. सहा.
2. सहायक नियंत्रक (प्रशा.) के वै. सहा.
3. वित्तीय अधिकारी के वै. सहा.
4. सभी अनुभाग
5. किताब महल बिक्री पटल, दिल्ली हाई कोर्ट बिक्री पटल, कोलकाता बिक्री पटल, मुंबई बिक्री पटल, बेंगलूर बिक्री पटल
6. गार्ड फ़ाइल